फाइल सं. जे.-11013/1/2025-एफएम 256 से 263

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

******

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 05 मई, 2026

आदेश

प्राइवेट एफएम रेडियो चरण-III नीति, 2011 के खंड 12.1 और खंड 24.1 के अनुसरण में , जिसमें यह अधिदेश दिया गया है कि अनुमतिधारक आकाशवाणी द्वारा अनुसरित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता (अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संहिता) का पालन करेंगे और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान है, केन्द्र सरकार ऐसे उल्लंघनों की जांच करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एतद्द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन करती है।

2. तदनुसार, प्राइवेट एफएम रेडियो नीति के खंड 24.1 के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:

क.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अध्यक्ष
ख.	प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय	सदस्य
ग.	प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
घ.	प्रतिनिधि, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	सदस्य
ङ	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	सदस्य
च.	भारतीय प्रेस परिषद से प्रतिनिधि	सदस्य
छ.	बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
ज.	आकाशवाणी कार्यक्रम विंग के प्रतिनिधि	सदस्य
झ.	उप सचिव/निदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य- संयोजक

(नोट: सहभागी मंत्रालय कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रतिनिधि का पद स्तर उप सचिव/निदेशक के पद से कमतर न हों)

3. आईएमसी समय-समय पर बैठक करेगी और केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन या विरोध के संबंध में भेजी गई शिकायतों पर सुनवाई करेगी।

4. अंतर-मंत्रालयी समिति अपने समक्ष रखी गई शिकायतों या परिवादों की जांच करेगी और केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें करेगी, जिनमें शामिल हैं:

(क) प्राइवेट एफएम रेडियो नीति के खंड 12.1 के उल्लंघन के लिए, नीति के खंड 24.2 के अनुसार दंड अधिरोपित करना;

खंड 12.1 के अनुसार, अनुमतिधारक उसी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करेगा जिसका पालन आकाशवाणी द्वारा किया जाता है और जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है या किसी अन्य लागू संहिता का पालन किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

इसके अलावा, खंड 24.1 के अनुसार, यदि 11.1, 11.2 और 12.1 में उल्लिखित शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो सरकार स्वत: या शिकायतों के आधार पर संज्ञान ले सकती है और उचित दंड की सिफारिश करने के लिए मामले को कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं पर अंतर-मंत्रालयी समितियों के समक्ष रख सकती है। समिति की सिफारिश पर दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, दंड अधिरोपित करने से पहले अनुमति धारक को अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, मंत्रालय ऐसे उल्लंघनों के लिए कार्रवाई करने के लिए किसी अन्य तंत्र को विनिर्दिष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) प्रसारक को सामग्री को हटाने या संशोधित करने, या किसी कार्यक्रम या चैनल को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑफ-एयर करने का निदेश देना, जिनके कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएं

5. अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा दंड अधिरोपित करने या अन्य उपयुक्त कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार किया जाएगा।

6. समिति की सिफारिश के आधार पर दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, दंड अधिरोपित करने पहले अनुमतिधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(योगेंद्र त्रेहन)
अतिरिक्त निदेशक
दूरभाष: 2338 0086

सेवा में,
श्री प्रभात, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

उपयुक्त प्रतिनिधि को नामित करने के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव, गृह मंत्रालय।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
3. सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
5. सचिव, भारतीय प्रेस परिषद।
6. अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
7. महानिदेशक, आकाशवाणी।